

मूल घात में डिफ्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग अभियान/कैम्प कोर्ट)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी आर०ए०एस०

उनवान

सम्पात पुत्र रामचन्द्र जाति जाट

निवासी खनवाना

दावा बाबत :- 88 RAJAS

मुकदमा नम्बर :- 140/21

दिनांक :- 11/11/21

बनाम 1. रामचन्द्र पुत्र शकुंतलवश्या 1

2. हृषण कुमार पुत्र रामचन्द्र 1

3. शशिबता पुत्री रामचन्द्र 1

4. पंजाब नेशनल बैंक शाखा नेठराना 1

5. राजवान मठार जाति तहसील छत्ता

भादरा

वादी की ओर से वकील श्रवण महारण की व प्रतिवादी सं०..... की ओर से वकील श्रवण महारण - II की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 11.11.21 को मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

शुभाक्षि राजनिगा चक 1 पत्तार के खाना सं० 9/11
के मु० न० 5, 8, 9, 10, 15, 17 की कुल 8.615 हे० में प्रतिवादी सं० 01 के
बाग 20 हिस्सा, शमी प्रहार चक 2 वरानी के खाना सं० 59/58 के मु० न०
31, 44 की कुल 3.435 हे० में प्रतिवादी सं० के नाम 1.012 हे०, शमी
प्रहार रौंदी मौजा 4 डीपीरन के खाना सं० 106/58 के मु० न० 13,
की कुल 1.518 हे० में प्रतिवादी सं० 1 रामचन्द्र के नाम 0.25-26 हे०
रूप रौंदी मौजा 2 पत्तार के खाना सं० 110/104 के मु० न० 28
के डिमा न० 16, 25 मु० न० 29 16 ता 25 कु 1 ता 5, 8 ता 13
कु 5, 6 की कुल 6.325 हे० नदी गप रास्ता में प्रतिवादी
सं० रामचन्द्र के नाम 1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में पूजी हैं। उक्त
वाद शुमि में प्रतिवादी सं० 1 रामचन्द्र का बाग उत्सगजन दिया जाकर
वादी सत्पात व प्रतिवादी सं० 2 हृषण कुमार को व हिस्सा काब
के अनुसार खानेदार का रकम धोकर डिपें जाते थे चूंकि प्रति सं० 3
ने अपना 1/5 हिस्सा वाली व प्रति सं० 2 के पक्ष में बाग 3/5 हिस्सा
के सम्पत्ति बाग डिपें हिस्से पर व इति शुमि रख है तो रदन शुमि के
खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। बाग उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड डुरुस्त किया
जायें।

यह पर्चा डिफ्री आज दिनांक 11.11.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(शकुंतला चौधरी)

R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़